

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

1379  
13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक क्र. 1379 तारीख 5/10/13 से 18/10/13 तक

जिला 52-21 अनुमण्डल - बाढ़ अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार

दाखिल - प्यारिज एव वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
5-10-13	<p>श्री/श्रीमति विनया देवी क. विपिन कुमार पिता/पति श्री/श्रीमति 810 नं० 215 इलाहाबाद ग्राम</p> <p>थाना जिला पटना अंचल बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वस्तीशनामा बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 8-10-13 को उपस्थापित करें।</p> <p><b>जमीन का विवरण</b></p> <p>ग्राम/थाना नं० 5181 खाता नं० 1137 60 2463</p> <p>खेसरा 16 डि०</p> <p>रकबा 16 डि०</p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

8-10-13

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विकी पत्र / दानपत्र / कच्चीसनामा  
बंटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः  
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता विक्रेता एवं आम  
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17-10-13  
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

17-10-13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा  
कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 18-10-13  
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

18-10-13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर  
राजस्व वसुली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की  
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

अंचल अधिकारी  
बाढ़